राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः प. 111 / नि.अ.मा.वि. / अनु.छात्रा. / 2018–19 / पार्ट1 / 8626 जयपुर, दिनांकः 21/8/19

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– विज्ञप्ति के प्रकाशन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात, जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक बालक–बालिकाओं के लिए छात्रावास संचालन हेतु पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति संलग्नानुसार प्रकाशित करवाई जानी है। कृपया संलग्न विज्ञप्ति (09 प्रतियां) आपके विभाग की अनुमोदित दरों के आधार पर न्यूनतम स्पेस में एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रकाशित कराकर देय राशि का बिल तीन प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार 09 प्रतियां।

21.8.19
(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांकः प. 111 / नि.अ.मा.वि. / अनु.छात्रा. / 2018–19 / पार्ट1 / 8627-34 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
6. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
7. सहायक निदेशक, द्वितीय (विज्ञापन शाखा), कार्यालय हाजा।
8. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

21/8/19
(सुशील कुमार)
सहायक निदेशक प्रथम

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉं राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान
dirminority@gmail.com

क्रमांकःप.111 / नि.अ.मा.वि. / अनु.छात्रा / सत्र 2018–19 / पार्ट1 / जयपुर, दिनांकः २।७।७

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019–20 की अवधि में प्रदेश के अधोलिखित जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए इच्छुक विधि सम्मत पंजीकृत स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने की आवश्यक अहर्ताएं आवेदन–प्रपत्र में अंकित हैं।

इच्छुक संस्थाएं संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर से भी निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। **आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही जमा कराये जाने है।** आवेदन–प्रपत्र विभागीय वेबसाइट http://www.minorityaffairs.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

1. **जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावासः**– मु0 अजमेर, मु0 बांसवाडा, मु0 भीलवाड़ा, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ, मु0 धौलपुर, मु0 डूंगरपुर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 झुंझुनू, मु0 जोधपुर, मु0 कोटा, मु0 पाली, मु0 राजसमन्द, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 उदयपुर।
2. **जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासः**– मु0 अजमेर, मु0 बांसवाडा, मु0 बारां, मु0 बाड़मेर, मु0 भीलवाड़ा, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ, मु0 चुरू, मु0 धौलपुर, मु0 डूंगरपुर, मु0 हनुमानगढ, मु0 जैसलमेर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 झुंझुनू, मु0 नागौर, मु0 पाली, मु0 राजसमन्द, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 उदयपुर।
3. **अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावासः**– रामसर (बाड़मेर), संगरिया (हनुमानगढ), पोकरण (जैसलमेर), मोहनगढ़ (जैसलमेर), नाचना (जैसलमेर), फतेहपुर (सीकर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), करणपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।
4. **अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासः**– टिब्बी (हनुमानगढ़), संगरिया (हनुमानगढ), पोकरण (जैसलमेर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर)।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयनित स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए सत्र 2019–20 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जावेगी। चयनित संस्थाएं यदि अल्पसंख्यक छात्रावासों का संचालन संतोषप्रद रूप से नहीं कर पायेंगी, तो उनको छात्रावास संचालन के लिए जारी की गई स्वीकृति 15 दिवस की अवधि का नोटिस देकर निरस्त कर दी जावेगी।

संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि–26.08.2019

(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक